कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–   /FP/UK/ROAD/9773/2015   :देहरादून:दिनांक: 1/9 ~~अगस्त~~, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा–बैजनाथ–कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के कि0मी0 100 से गुडम स्टेट विजयपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.71 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल संख्या– FP/UK/ROAD/9773/2015)

संदर्भः–वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या 113/X-4-15/1(29)/2015 दिनांक 20–03–2015

महोदय,

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 7.42 है0 ग्राम–तलवाडी एवं लुडा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 9,64,600.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–तलवाडी एवं लुडा सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया जा चुका है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 20,00,000.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 34,83,690.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है।
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
5. शर्त संख्या–5 व 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार जमा की गयी कुल धनराशि रू0 64,48,290.00 के ऑनलाईन चालान के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
6. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/शासनादेश निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 787 / FP/UK/ROAD/9773/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहत्रधारा रोड़, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, कर्णप्रयाग।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी